



जिला शिक्षा प्रशासिक कार्यालय | WEST CHAMPARAN

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

बिना संख्या

प्रमाण पत्र

पत्रिका - SSA/RTE/1146

दिनांक - 06/06/20

संका सं

अध्यक्ष / अध्यक्ष / प्रबंधक

H.S. DAV PUBLIC SCHOOL

PAKRI DHALA

विषय - बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 16 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपबिम्ब के अन्तर्गत विद्यार्थय की प्रत्येकता का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके अवैदान पत्र दिनांक. 26-09-2021 और उसके क्रम में आसले किये गये सवाचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं किला स्तरीय शिक्षावलीय समिति के बैठक दिनांक 10 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय H.S. DAV PUBLIC SCHOOL, PAKRI DHALA, MARKATIAGANJ, 845455 को कक्षा 1 से 8 तक सहायन हेतु तीन बच्चों से 25-9-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रत्येकता प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रत्येकता निम्न बच्चों के अनुयायन के अर्पित होगी. "

1. प्रत्येकता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुयायन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पट्टीस के कमजोर वर्ग एवं अक्षाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुक्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उत्तरी पूर्णता तक पठान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा की का सहायन हो रहा है, तो इस नामक का अनुयायन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षा 3 में उपरत बच्चों के नामने में विद्यालय को बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित तकि की प्रत्येकता की जाएगी। प्रत्येकता की जानेवारी तकि की प्रकति के लिए विद्यालय असा से केक छात्रा का संधारक करेगा।
5. सोसाईटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का क्विंटेशन क्रीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अधिभारक का स्वीकृतिय देटर नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उय प्रयास पत्र के अनुपलब्धता नामांकन भी विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान अदि कारकों या हुसने से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यार्थय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएगे:
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा औरतन ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होमे एक विद्यार्थय में निष्कासित किया जाएगा ।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का वार्षिक टैड नहीं दिया जाएगा तथा धानसिक रूप से प्रहादित नहीं किया जाएगा ।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार से बोंड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विव्याय बच्चों का समावेदन किया जाएगा ।
 - (vi) शिक्षकों का निवर्तन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योगत के अनुकूप किया जाएगा ।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगे ।
 - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षक गतिविधि में संलग्न नहीं होगी ।

8. विद्यार्थय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठयक्रम एवं पाठ्यपत्रा का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुसारिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

